संख्या– /xxiv(7)/2016–4(2)/09

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी,नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 18 जुलाई 2016

विषयः– राजकीय महाविद्यालय, कपकोट के भवन निर्माण के कार्यो हेतु पी0एल0ए0 में स्वीकृत की गयी धनराशि को व्यय किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेष संख्या–490/xxvii–1/2016 दिनांक 31.03.2016 शासनादेश संख्या–2447/xxiv(7)/2016–4(2)/09 दिनांक 31.03.2016 तथा आपके पत्रांक डिग्री बजट/1737/2016–17 दिनांक 12.05.2016 के क्रम में मुझे यह कहनें का निदेश हुआ है कि राजकीय महाविद्यालय, कपकोट के भवन निर्माण हेतु गठित डी0पी0आर0 रू0 495.90 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रू0 471.43 लाख (सिविल कार्यों हेतु रू0 452.35 लाख + अधिप्राप्ति के कार्यों हेतु रू0 19.08 लाख) (रू0 चार करोड़ इकत्तर लाख तेतालिस हजार मात्र) की धनराशि जो उक्त शासनादेश संख्या–2447/xxiv(7)/2016–4(2)/09 दिनांक 31.03.2016 के माध्यम से जिलाधिकारी बागेश्वर के पी0एल0ए0 में रखी गई थी, को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त धनराशि का व्यय करते हुए उक्त संदर्भित शासनादेश–490 xxvii–1/2016 दिनांक 31.03.2016, में वित्त विभाग द्वारा दिए गयक निदेर्शो का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3– स्वीकृत धनराशि को उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई अन्य व्यय नहीं किया जायेगा एवं समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मित्तव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त की जायेगा। तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल आफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

5– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219 (2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई से पालन करने का कष्ट करे।

6– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

7– उपरोक्त कार्यो के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–30/xxvii(7)/32/2007 दिनांक 25.02.2016 में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2017 तक उपयोग करके व्यय विवरण शासन एवं वित्त विभाग को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

9– स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष मात्र उस सीमा तक ही धनराशि का आहरण कोषागार से किया जाएगा, जिस सीमा तक दिनांक 31.03.2017 तक वास्तविक रूप से व्यय किया जाना सम्भव हो।

.....2/

10– कार्य करने से पूर्व औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

11– निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व मानकों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का कडाई से पालन किया जाय।

12– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरुप ही कार्य कराया जाय।

13– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

14– स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

15– तृतीय पक्ष गुणवत्ता (Third party quality) सुपरविजन तथा अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय, परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जानी होंगी। इसका व्यय कार्यदायी संस्था को देय चार्जेज (Centage) से किया जायेगा। किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाय। उक्त रिपोर्ट से शासन को अवगत कराया जाय।

16– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 475/xxvii(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

15– यह आदेश वित्त विभाग के अशासनादेश संख्या–34 (p)/xxvii(3)/2016–17 दिनांक 05 जुलाई, 2016 में प्राप्त निर्देशों के कम में स्वीकृत की जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0 रामास्वामी)
अपर मुख्य सचिव।

पृ0सं0 281 (1)/xxiv(7)/2016–4(2)/09 तददिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2– आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
3– जिलाधिकारी, बागेश्वर उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5– सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
7– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
8– वित्त अनु0–3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
9–सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम उत्तराखण्ड।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार पाण्डे)
अनु सचिव।